न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 31/2024

1. मदनलाल पुत्र नारायण जाति जाट निवारी भासिंहपुरा तह0 जोबनेर जि0 जयपुर। वादी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार तहसील जोबनेर।
2. रामकिशन पुत्र नारायण जाति जाट निवारी भासिंहपुरा
3. रामनाथ पुत्र नारायण जाति जाट निवारी भासिंहपुरा
4. श्रवणलाल पुत्र नारायण–फौत
   4/1– कानाराम पुत्र श्रवणलाल
   4/2– सम्पत देवी पुत्री श्रवणलाल
   4/3– विकास पुत्र श्रवणलाल नाबालिंग संरक्षक सरपरस्त माता विमलादेवी
   4/4– विमला देवी पत्नि श्रवणलाल
   समस्त जाति जाट निवासी भासिंहपुरा तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी नाम दुरुस्ती

<u>अंतर्गत धारा 88 रा0टी0ऐ0</u>

उपस्थित :– 1. श्री लक्ष्मीनारायण कलवानियां अधिवक्ता वादी
2. श्री बबलु कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2, 3 4/1लगा04/3

दिनांक :– 09/05/2025

निर्णय

वादीगण द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं दुरुस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी ख0न0 132 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा चाही–1, ख0न0 135 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा चाही–1, ख0न0 136/2 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा बारानी 2, ख0न0 483/2/1 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा चाही–1, ख0न0 483/2/2 रकबा 1 बिस्वा चाही–1 (गै0मु0चाह) ख0न0 483/2/3 रकबा 1 बिस्वा चाही–1 गै0मु0चाह, ख0न0 487/2 रकबा 9 बिघा 8 बिस्वा चाही–1 कुल किता 7 रकबा 43 बीघा 9 बिस्वा वाकै ग्राम भासिंहपुरा तह0 जोबनेर, जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे खातेदार जालूराम पुत्र श्री लखमा जाति जाट निवासी भासिंहपुरा तहसील जोबनेर का 3/20 हिस्सा था और खातेदारी जालूराम ने अपना सम्पूर्ण 3/20 हिस्सा वादी मदनलाल व उसके भाई रामकिशन,

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

श्रवणलाल, रामनाथ को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29/10/1996 को बेचान किया गया था।

वादी को मदनलाल व धन्नालाल दोनो नामो से घर पर पुकारते है परन्तु वादी का वास्तविक सही नाम मदनलाल है परन्तु जब दिनांक 29/10/1996 को रजिस्ट्री करवायी गई तब वादी की उम्र 19 वर्ष की थी और वादी के पिता ने वादी का घर पर बोलचाल वाला नाम धन्नालाल ही उक्त रजिस्ट्री मे दर्ज करवा दिया। जिसके बाद वादी व प्रतिवादी सं02ल03 व श्रवणलाल के नाम नामांतकरण खोला गया और जमाबंदी मे वादी का घर पर बोलचाल का नाम धन्नालाल ही दर्ज आ रहा है। जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम मदनलाल है।

वादी का रजिस्ट्री नाम धन्नालाल दर्ज होने से जमाबंदी मे यही नाम चला आ रहा है। उक्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादी सं02 ल04 द्वारा खरीद की गई आराजीयात वाद मद नं01 मे वर्णित का अन्य सह खातेदारो से विभाजन होने पर वादी व प्रतिवादी सं02ल03 व श्रवणलाल के वारिसान 4/1लगायत 4/4 के हिस्से की आराजी खाता सं0 नया 97 व पुराना 96 के ख0न0 135/1 रकबा 0.9104 है0 व ख0न0 136 रकबा 0.6955 है0 वाकै ग्राम भासिंहपुरा पटवार हल्का ढीण्ढा, गिरदावर हल्का आसलपुर तह0 जोबनेर, जिला जयपुर वर्तमान मे वादी व प्रतिवादी सं02ल03 व श्रवणलाल के वारिसान 4/1 लगायत 4/4 के हिस्से मे अंकित है। जिसमे वादी का 1/4 हिस्सा है। वादी के पिता नारायण के धन्नालाल नाम का अलग कोई पुत्र नहीं था बल्कि वादी को ही मदनलाल व धन्नालाल दोनो नामो से पुकारते है वादी का सही नाम मदनलाल है। इसलिए उक्त आराजीयात मे वादी का नाम धन्नालाल पुत्र नारायण की जगह मदनलाल पुत्र नारायण दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

वादी का सही नाम मदनलाल पुत्र नारायण है तथा वादी के पिता नारायण की मृत्यु होने पर जो विरासत मे आराजीयात खाता सं0नया 93 पुराना 54 के खसरा नं0 135/2 रकबा 0.9104 है0, ख0न0 136/2 रकबा 0.6955 है0 किता दो कुल रकबा 1.6059 है0 वाकै ग्राम भासिंहपुरा पटवार हल्का ढीण्ढा, भू0अभि0नि0क्षेत्र आसलपुर तह0 जोबनेर मे वादी का नाम मदनलाल पुत्र नारायण दर्ज किया हुआ है। इसी प्रकार वादी के बैंक खाता, राशनकार्ड, वोटरलिस्ट, वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व शैक्षणिक दस्तावेज मे वादी का नाम मदनलाल पुत्र नारायण ही दर्ज किया हुआ है।

वादी का नाम उसकी खातेदारी आराजी ख0न0 135/1 रकबा 0.9104 है0 व ख0न0 136 रकबा 0.6955 है0 वाकै ग्राम भासिंहपुरा पटवार हल्का ढीण्ढा, गिरदावर हल्का आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर मे धन्नालाल पुत्र नारायण अंकित रहने

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

से वादी को अपनी आराजीयात को उन्नत व विकसित करने एवं ऋण इत्यादि लेने एवं किसान निधि योजना का लाभ व अन्य सरकारी लाभ लेने से वंचित होना पड रहा है। वादी ने कहीं बार पटवारी हल्का को वादी का नाम धन्नालाल पुत्र नारायण की जगह मदनलाल पुत्र नारायण दुरूस्त करने का निवेदन किया गया तब पटवारी हल्का ने वादी को आश्वस्त किया था कि जब भी गांव मे राजस्व कैम्प लगेगा तब तुम्हारा नाम दुरूस्त कर दिया जावेगा। जिस पर वादी ने राजस्व कैम्प (महंगाई राहत कैम्प) ढाणी बोराज मे दिनांक 26/5/2023 को आयोजित किया गया। जिसमे वादी ने अपना नाम धन्नालाल पुत्र नारायण की जगह मदनलाल पुत्र नारायण दुरूस्त करने की प्रार्थना शिविर प्रभारी को की ओर प्रार्थना पत्र पेश किया। तब शिविर प्राभारी ने दिनांक 26/5/23 को तहसीलदार जोबनेर को उक्त प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। जिस पर तहसीलदार जोबनेर ने वादी को आश्वस्त किया कि नाम दुरूस्ती करवा दि जावेगी । लेकिन जब वादी का नाम दुरूस्त नही हुआ। तो वादी दिनांक 14/3/2024 को पुनः तहसीलदार जोबनेर के यहां उक्त नाम की दुरूस्ती करने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा न्यायालय से आदेश लाने की हिदायत दी गई इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती नाम इन्द्राज इस आशय का डिक्री फरमाया जाकर आराजी खाता सं0नया 97 व पुराना 96 की आराजी ख0न0 135/1 रकबा 0.9104 है0 व ख0न0 136 रकबा 0.6955 है0 वाकै ग्राम भासिंहपुरा पटवार हल्का ढीण्ढा, गिरदावर हल्का आसलपुर तह0 जोबनेर, जिला जयपुर मे दर्ज वादी का नाम धन्नालाल पुत्र नारायण की जगह मदनलाल पुत्र नारायण दुरूस्त फरमाया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद फरमाय जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 4/1 लगा0 4/4 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 22/01/2025 को जबाब तथा फर्द मौका रिपोर्ट इस आशय की प्रार्थी ने अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिनके अवलोकन पर प्रार्थी का नाम धन्नालाल पिता नारायण के बजाय मदनलाल पि नारायण होना पाया। प्रार्थी के दो सगे भाई रामकिशन व रामधन ने बताया कि वक्त रजिस्ट्री के बोलचाल का नाम धन्नालाल होने से खाता में नामान्तरण से धन्नालाल पि नारायण दर्ज हो गया जो कि गलत है। जबकि सही नाम मदनलाल पि नारायण है। उपस्थित भाईयों एवं अन्य के बताये अनुसार खाता संख्या 93 में प्रार्थी के पिताजी नारायण पि लखमाराम के विरासत नामान्तरण से मदनलाल पि

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

नारायण जाति जाट दर्ज हुआ। मौके पर उपस्थित मौतबीर ने भी बताया कि धन्नालाल व मदनलाल एक व्यक्ति है एवं धन्नालाल को ही मदनलाल के नाम से जाना जाता है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 4/1 लगा0 4/4 जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है। तथा वादीगण का वाद मुताबिक वादपत्र डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 4/1 लगा0 4/4 द्वारा दौरान बहस वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र डिक्री फरमाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। आराजी खसरा नम्बर 135/1 एवं 136 ग्राम भासिंहपुरा तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। जिसमे वादी का नाम धन्नालाल पुत्र नारायण दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं निर्वाचन पहचान पत्र में वादी का नाम मदनलाल पुत्र नारायण दर्ज है। ग्राम में उपस्थित मौतविरानों ने बताया है कि धन्नालाल व मदनलाल एक ही व्यक्ति है एवं धन्नालाल को मदनलाल के नाम से जाना जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण वादी को सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाता है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड आराजी खसरा नम्बर 135/1 एवं 136 वाके ग्राम भासिंहपुरा तह0 जोबनेर में धन्नालाल पुत्र नारायण के स्थान पर मदनलाल पुत्र नारायण दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 09/05/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर